न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या:– 2023/147

सिविल प्रकरण संख्या:– 56/2023 तारीख रजू 01.08.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. कमल जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन (विक्रेता) मैसर्स कमल ट्रेडिंग कम्पनी, ईएसआई अस्पताल के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर।
2. सौरभ जैन पुत्र श्री कमल जैन (प्रोपराईटर) मैसर्स कमल ट्रेडिंग कम्पनी, ईएसआई अस्पताल के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर।
3. रतन लाल जैन (प्रोपराईटर) मैसर्स कन्हैया लाल रतन लाल छत्री बाजार शहर सवाई माधोपुर।
4. सुखाड़िया अशोक भाई नाथा भाई (नोमिनी, निर्माता फर्म) मैसर्स श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फूड्स लि0 प्लाट नं 40–54, गोवर्धन इण्डस्ट्रीयल एस्टेड टेलिफोन एक्सचेंज के पीछे, न्यू सियालाज कॉलोनी, पीपोधारा, मांगरोल, सूरत (गुजरात) 394110 निवासी– पटेल समाज के पास, ईश्वरीय मंडावाड, विशावधर, जूनागढ, गुजरात 362130 मो0नं0 9913985226

........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51 & 58 FSS Act 2006 एवं नियम 2011

दिनांक 18.11.2025

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.08.2022 को दोपहर 03.00 पी.एम. पर उक्त फर्म– कमल ट्रेडिंग कम्पनी, ईएसआई अस्पताल के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर संस्थान पर पहुंचा संस्थान पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने अपने आपको विक्रेता होना बताया एवं अपना नाम कमल जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन होना बताया एवं सौरभ जैन पुत्र श्री कमल जैन को उक्त फर्म का प्रोपराईटर होना बताया एवं कमल जैन को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु 1 सील्ड टिन घी (वास्तु) 15 किलोग्राम पैकिंग रखा हुआ था एवं मौके पर घी (वास्तु) टिन के आउटर कार्टून के छायाप्रति एवं खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी। उक्त टिन में रखे घी (वास्तु) में गुणवत्ता/मिलावट होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु टिन को अच्छी तरह हिलाकर टिकडी के विपरीत ओर छेद कर 1 लीटर घी (वास्तु) खरीदकर उनकी कीमत 448/– रूपये विक्रेता कमल जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान खेमराज गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 लीटर घी (वास्तु) को एक [illegible] भगोनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतल में बराबर–बराबर मात्रा में डाल [illegible] कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2401** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2401 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता कमल जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति कमल जैन को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/163 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2546/एक्ट/2022/2582 दिनांक 16.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** घी (वास्तु) सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स घी (वास्तु) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 26(2)(V) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 जरिये वकील उपस्थित हुये। अभियुक्त संख्या 4 जरिये ऑथराईज पर्सन उपस्थित हुए। वकील अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में बिना जवाब पेश किये सीधे बहस करने तथा अभियुक्त संख्या 4 जरिये ऑथराईज पर्सन द्वारा प्रकरण में जबाव पेश कर आज ही बहस सुनने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स घी (वास्तु) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 26(2)(V) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

वकील अभियुक्तगण संख्या 1 लगा. 3 द्वारा बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कम्पनी से पैक अवस्था में उक्त नमूना उत्पाद प्राप्त किया तथा पैक अवस्था में ही विक्रय किया गया है। अतः उक्त प्रकरण में अभियुक्त संख्या 4 से ही दण्ड की समस्त राशि प्राप्त की जावे।

अभियुक्त संख्या 4 ने जरिये ऑथराईज पर्सन पेश किये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ घी (वास्तु) का सेम्पल लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट में फोरेन फेट का होना बताकर के सेम्पल को सबस्टेण्डर्ड माना गया है। प्रकरण में लगने वाली समस्त शास्ति की जिम्मेदारी कम्पनी श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फूडस लि./प्रार्थी की होगी। प्रकरण में जो भी शास्ति राशि लगाई जाती है उसे प्रार्थी सुखाडिया अशोक भाई नाथा भाई मैसर्स श्री राधे डयेरी फार्म एण्ड फूडस लि. की ओर से जमा करवाई जायेगी।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/2546/एक्ट/2022/2582 दिनांक 16.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** घी (वास्तु) सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त संख्या 4 ने जरिये ऑथराईज पर्सन उक्त प्रकरण में गलती स्वीकार की गई है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) एवं 26(2)(V) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** घी (वास्तु) को विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 पर संयुक्त रूप से 40,000 रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। चूंकि अभियुक्त संख्या 4 ने जरिये ऑथराईज पर्सन सम्पूर्ण शास्ति राशि स्वयं देने का जबाव में अंकन किया है। अतः अभियुक्त संख्या 4 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **18.11.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संज...)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:08 IST
Reason: SelfAttested